ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL**04292**
RNI REG. NO. UPBIL/**2014/66218** **PP. No.- 57-59**
I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e–I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-20, No.- I, Issues-39, YEAR- Jan.-March 2026

प्राचीर विहीन कारागार का उद्‌भव एवं विकास

डॉ0 अवध किशोर सिंह
असिस्टेंट प्रोफेसर– मनोविज्ञान विभाग, हरि प्रसाद शाह महाविद्यालय निर्मली (सुपौल) बी०एन० मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा (बिहार), भारत

Received-13.01.2026, Revised-20.01.2026, Accepted-28.01.2026 **E-mail:aaryvart2013@gmail.com**

सारांशः ***आधुनिक काल में भारत तथा कई अन्य यूरोपीय देशों में कारागारिक सुधारात्मक प्रशासन के क्षेत्र में जो भी महत्त्वपूर्ण विकास हुए हैं, उनमें प्राचीर विहीन कारागारों की स्थापना का भी अपना एक अद्वितीय स्थान है।[1] यूरोपीय देशों में, विशेषकर द्वितीय महायुद्ध के उपरान्त ही इन कारागारों की स्थापना की गयी, यद्यपि इस महायुद्ध के पूर्व से ही इन देशों में बन्दियों को दिन के समय कारागार के बाहर कारागारिक अधिकारियों के नियन्त्रण में कृषि–फार्मों अथवा अन्य कार्य–स्थलों पर श्रम कार्य में लगाया जाता था, किन्तु रात्रिकाल में उन्हें परम्परागत कारागार की वहारदीवारी के अन्तर्गत रखा जाता था।[2] परन्तु प्राचीरविहीन कारागार को स्थापित करने के सन्दर्भ में सर्वप्रथम सन् 1950 में हेग ने बारहवें अन्तर्राष्ट्रीय दण्डात्मक एवं सुधारात्मक सम्मेलन में विचार–विमर्श किया गया।[3] इस सम्मेलन के कार्यक्रम में इस प्रश्न पर काफी बहस की गयी कि परम्परागत कारागार के स्थान पर प्राचीर विहीन कारागार किस सीमा तक उपयुक्त सिद्ध होंगे, इस सम्मेलन में प्राचीर विहीन सुधारात्मक संस्थाओं की स्थापना के सन्दर्भ में कई आयामों पर विचार–विमर्श किया गया।***

परन्तु प्राचीर विहीन कारागार को स्थापित करने के लिये वास्तविक प्रयास संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्त्वावधान में आयोजित जिनेवा के अपराध निवारण तथा अपराधियों के उपचार से सम्बन्धित प्रथम सम्मेलन 1955 में किया गया।[4] इस सम्मेलन में प्राचीर विहीन कारागार की संरचना एवं प्रकार्य से सम्बन्धित विभिन्न सिद्धान्तों को निश्चित किया गया। पाँच वर्षों के उपरान्त अपराध–निवारण एवं अपराधियों के उपचार पर विचार–विमर्श करने के लिये दूसरा सम्मेलन लन्दन में सन् 1960 में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में भी प्राचीर विहीन कारागारों की संरचना एवं प्रकार्य से सम्बन्धित कई महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त विकसित किये गये। इस प्रकार प्राचीर विहीन कारागारों के प्रकार्यात्मक सिद्धान्त का विकास अन्तर्राष्ट्रीय विचार–विमर्श प्रक्रिया के आधार पर ही किया गया है।

कुंजीभूत शब्द– प्राचीर विहीन कारागार, कारागारिक सुधारात्मक प्रशासन, द्वितीय महायुद्ध, विचार–विमर्श, प्रकार्यात्मक सिद्धान्त, पुरातन।

आज विश्व के अधिकांश देशों ने खुले कारागारों को स्थापित कर लिया है। इन देशों में इंग्लैण्ड, अमेरिका, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, फिलिपाइन्स, बर्मा, सिलोन, हांगकांग, थाईलैण्ड, नीदरलैण्ड, फ्रांस, नार्वे, स्वीडन, बेल्जियम, ईरान और इजराइयल आदि के नाम यहाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। हाल के वर्षों में इन देशो में प्राचीर विहीन कारागारों की व्यवस्था में पर्याप्त उन्नति भी हुई है।

भारतवर्ष में भी बन्दियों के लिये प्राचीर विहीन कारागारों को स्थापित किया गया है। औपचारिक रूप से 'ऑल इण्डिया जेल मैन्युअल कमेटी' ने सन् 1950 में बन्दियों के जीवन में सुधार लाने के प्रयोजन से प्राचीर विहीन कारागारों की स्थापना करने पर विशेष रूप से बल दिया था। इस प्रकार भारत में प्राचीर विहीन कारागार की स्थापना की धारणा संरचनात्मक अर्थ में एक नया विचार अवश्य है, किन्तु प्रकार्यात्मक अर्थ में यह एक पुरातन धारणा है। बीसवीं शताब्दी के आरम्भिक काल में हमारे देश में बन्दियों को परम्परागत कारागार के बाहर सार्वजनिक निर्माण के कार्यों जैसे– बाँध का निर्माण, पुलों का निर्माण, नहरों की खुदाई, सड़क बनाना आदि में लगाया जाता था। परन्तु ये कार्य किसी संगठित व्यवस्था के आधार पर सम्पादित नहीं किये जाते थे। अतः कारागार–प्रशासन को कई बार अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। कथनीय है कि कारागार के बाहर सार्वजनिक कार्यों को करते समय बन्दियों को अस्वाभाविक जीवन ही व्यतीत करना पड़ता था तथा उनकी प्रत्येक गतिविधि पर कड़ी निगरानी रखी जाती थी। परिणामतः बन्दीजन रचनात्मक कार्यों के सम्पादन में न तो अधिक अभिरुचि लेते थे और न ही उनमें आत्म–परीक्षण की किसी भावना की उत्पत्ति होती थी।

परन्तु स्वातन्त्र्योत्तर भारत के प्रथम दशक में परम्परागत दण्डात्मक नीतियों में आवश्यक संशोधन एवं परिवर्तन लाये गये। बन्दियों के प्रति अपनाये जाने वाले पुराने तरीकों को सर्प के केचुल की भाँति छोड़कर उनके सुधार एवं पुनर्वासन के लिये विश्व के अन्य देशों की भाँति अनेक नवीनतम उपायों को अपनाने पर विशेष रूप से बल दिया जाने लगा। यही कारण है कि "ऑल इण्डिया जेल मेन्युअल कमेटी" ने सन् 1950 में बन्दियों के वास्तविक पुनर्वासन के लिए प्राचीर विहीन कारागार की स्थापना करने की सिफारिश की। इस कमेटी ने अपने प्रतिवेदन में परम्परागत कारागारों की आलोचना करते हुए यह प्रतिवेदित किया है कि सामान्य व आकस्मिक अपराधियों को कारागार की विशालकाय चहारदीवारी की बन्द कोठरियों में रखकर तथा उन्हें शारीरिक यातनाएँ देकर उनको न तो सामान्य या समाजोपयोगी नागरिक बनाया जा सकता है और न ही उनकी पूर्व आपराधिक मनोवृत्तियों एवं आचरणों में कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ही लाया जा सकता है। इसके विपरीत, खुले कारागारों की उपादेयताओं को उजागर करते हुए इस कमेटी ने यह प्रतिवदेति किया है कि प्राचीर विहीन कारागारों में ऐसे पक्षियों को रखने से एक ओर जहाँ उनको अकर्मण्य जीवन व्यतीत करने से बचाया जा सकता है, वहीं दूसरी ओर उनको रचनात्मक कार्यों के सम्पादन में लगाकर स्व–अनुशासित एवं स्वावलम्बी जीवन व्यतीत करने का पाठ पढ़ाया जा सकता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि इस कमेटी ने अपराधी सुधार योजना में खुले कारागारों के योगदानों की भूरि–भूरि प्रशंसा की है।

ऑल इण्डिया जेल मैन्युअल कमेटी, 1950 की सिफारिशों तथा अपराधशास्त्रियों एवं दण्डशास्त्रियों द्वारा प्रतिपादित नवीन दण्डात्मक दर्शन के प्रकाश में भारतवर्ष में वर्तमान रूप में सर्वप्रथम "खुला कारागार" या शिविर अक्टूबर 1952 में उत्तरप्रदेश वाराणसी जनपद के चकिया में चन्द्रप्रभा नदी पर बाँध बनाने के लिए स्थापित किया गया। इस शिविर में उत्तरप्रदेश के विभिन्न कारागारों के दीर्घकालिक सजा पाये 200 बन्दियों को लगाया गया था। इस शिविर की सफलता के पश्चात् दूसरा शिविर अक्टूबर 1953 में इसी जनपद में नौगढ़ क्षेत्र में कर्मनाशा नदी के तट पर बाँध बनाने के लिए स्थापित किया गया जो जनवरी 1955 में पूरा हो गया। इस बाँध के निर्माण कार्य में 3,905 बन्दियों ने मजदूर के रूप में कार्य किया था। तीसरा शिविर 1955 में ही पीलीभीत जनपद के शाहगढ़ गाँव में साढ़े तेरह मील लम्बी नहर खोदने के लिए स्थापित किया गया। इस नहर के पूर्ण होने पर यह शिविर नैनीताल जनपद में

अनुरूपी लेखक / संयुक्त लेखक

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e–I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-20, No.- I, Issues-39, YEAR- Jan.-March 2026

खातिमा स्थान से सात मील दूर नानक सागर बाँध के निर्माण के लिये स्थानान्तरित कर दिया गया था। इसके पश्चात् एक छोटा शिविर सन् 1956 में वाराणसी में वरुणा नदी पर पुल बनाने के लिये आयोजित किया गया। इन समस्त शिविरों की सफलता से प्रोत्साहित होकर एक स्थायी शिविर मिर्जापुर जनपद के घुरमा नामक स्थान में मार्च, 1956 में मिर्जापुर सीमेन्ट फेक्टरी में कार्य करने हेतु आयोजित किया गया। पुनः एक अन्य शिविर मार्च, 1960 में नैनीताल जनपद के सितारगंज में प्रारम्भ किया गया, जहाँ 1,000 से अधिक बन्दियों द्वारा 3,000 एकड़ भूमि पर कृषि की जाती है।

उत्तर प्रदेश में स्थापित प्राचीर विहीन कारागारों या शिविरों को सम्पूर्णानन्द शिविर के नाम से सम्बोधित किया गया है। डॉ. सम्पूर्णानन्द के प्रयासों एवं मानवतावादी दर्शन के परिणामस्वरूप ही इस प्रदेश में खुले शिविरों का सूत्रपात किया गया। उन दिनों डॉ. सम्पूर्णानन्द इस राज्य के गृहमन्त्री थे। वस्तुतः उत्तरप्रदेश में डॉ. सम्पूर्णानन्द को जहाँ एक ओर खुले शिविरों का जनक माना जा सकता है, वहीं दूसरी ओर उन्हें बन्दियों का मसीह भी कहा जा सकता है। जब वाराणसी में वरुणा नदी पर पुल बनाने के लिये बन्दियों को सामान्य श्रमिकों के साथ कार्य करने के लिये भेजा गया तब श्रमिकों के समूह में एक बड़ा भाग स्त्री–श्रमिकों का था। डॉ. सम्पूर्णानन्द ने बन्दियों एवं भूतपूर्व अपराधियों के प्रथम सम्मेलन में अपने उद्घाटन भाषण में इस शिविर की सफलता की सराहना करते हुए कहा था कि–''वाराणसी में सरैया के पास वरूणा पर पुल बनाते समय हमने काम करने के लिये बन्दियों को बड़े संकोच के साथ भेजा था। हमारे संकोच का कारण स्पष्ट था। यह एक ऐसा मिलाजुला शिविर था जहाँ बन्दियों को सामान्य मजदूरों के साथ कार्य करना था। इन मजदूरों में स्त्रियों की संख्या अधिक थी। यद्यपि परिस्थिति ने इन बन्दियों को अपराध करने के लिये बाध्य किया था किन्तु मुझे विश्वास था कि उनमें तथा उनके पूर्वजों में मौजूदा मूल रूप से वर्तमान भारतीय संस्कृति उन्हें किसी भी प्रकार के प्रलोभनों में स्थिर रहने की शक्ति देगी। फिर भी इस प्रयोग के खतरे तो थे ही।'' इस शिविर की प्रशंसा विदेशी लेखकों ने भी की थी।

एक भारतेतर लेखक के अनुसार उत्तरप्रदेश में, बनारस में लम्बी अवधि के बन्दी नगर के मध्य में, बिना निगरानी के सार्वजनिक निर्माण कार्य में लगे हुए थे और वे स्वतन्त्रतापूर्वक स्त्री–पुरूषों के साथ मिलते–जुलते रहते थे। इस प्रदेश में दो–तीन हजार बन्दी सार्वजनिक निर्माण कार्य में नहर तथा बाँध बनाने के कार्य में एक स्थान से दूसरे स्थान पर बराबर काम कर रहे थे।

उत्तरप्रदेश में आयोजि इन शिविरों की प्रधान विशेषताओं को अधोलिखित रूप में दर्शाया जा सकता है :

1. इन शिविरों में बन्दियों को न्यूनतम पर्यवेक्षण में स्वतन्त्र रूप में जीवनयापन करने का अवसर प्रदान किया जाता है।
2. इनमें बन्दियों पर रखवाली करने के लिये ताले, दीवारें तथा प्रहरी नहीं होते हैं।
3. बन्दियों को उनके द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्यों के लिये उचित पारिश्रमिक दिया जाता है।
4. शिविर परिसर में रहने वाले सभी बन्दियों को शिविरार्थी माना जाता है, न कि बन्दी।
5. शिविर के बन्दी अपने परिवार के सदस्यों, सगे–सम्बन्धियों एवं मित्रों से स्वतन्त्रतापूर्वक भेंट कर सकते हैं तथा आवश्यकतानुसार अपने अस्वस्थ माता–पिता एवं स्त्री–पुत्रादि से मिलने तथा किसी सांस्कृतिक समारोह में उपस्थित होने के लिए अपने मूल निवास स्थान पर जा सकते हैं।
6. इनमें बन्दी अपने समूह के प्रति आत्मनियंत्रण तथा वैयक्तिक उत्तरदायित्व की भावना रखते हैं।
7. इनमें बन्दियों तथा कारागार के कर्मचारियों के बीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध विद्यमान रहता है।
8. प्रायः सभी शिविरार्थियों को प्रातःकाल में ही बिस्तर छोड़ देना पड़ता है। शौच आदि से निवृत्त होकर उन्हें सामूहिक प्रार्थना में सम्मिलित होना पड़ता है तथा इसके पश्चात् शारीरिक व्यायाम करना पड़ता है।
9. रात्रिकाल में एवं अवकाशकाल में बन्दियों के लिये विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक एवं धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।
10. शिविर में बन्दियों को पढ़ाने लिखाने तथा अन्य व्यावसायिक प्रशिक्षण देने की भी उचित व्यवस्था होती है।
11. शिविर के विभिन्न प्रशासकीय कर्मचारियों एवं अधिकारियों के पदों के परम्परागत नाम नवीन पदनामों से सम्बोधित किये जाते हैं। उदाहरणस्वरूप, इनमें वार्डेन को "सुपरवाइजर", हेड–वार्डेन को "मुख्य सुरपवाइजर" जेलर को "कल्याण अधिकारी" तथा सुपरिन्टेन्डेंट को "प्रधान कल्याण अधिकारी" कहा जाता है।
12. इनमें बन्दियों की हैसियत कैदियों की भाँति न होकर श्रमिकों की भाँति होती है।
13. शिविर के अहाते को पूर्णतया खुला रखा जाता है तथा उसमें किसी प्रकार की चहारदीवारी नहीं रहती है।
14. बन्दियों की उपस्थिति तथा उनके विषय में अन्य जानकारी रखने हेतु शिविर में बन्दियों के समूह में से ही "ग्रुप आफिसर्स" नियुक्त किये जाते हैं। प्रत्येक "ग्रुप आफिसर्स" पर एक सौ बन्दियों की देखभाल का कार्य सौंपा जाता है।
15. शिविर में परम्परागत कारागार की भाँति रात्रि के समय बन्दियों की गणना नहीं की जाती है और न ही उपस्थिति ली जाती है। केवल सुबह और शाम कार्य पर जाते–आते समय उनकी औपचारिक गिनती की जाती है।
16. बन्दियों के पारिश्रमिक में से एक निश्चित राशि शिविर में उन पर होने वाले व्यय के रूप में काट ली जाती है तथा शेष राशि उन्हें वापस कर दी जाती है। इस राशि को खर्च करने के लिये वे पूर्णतया स्वतन्त्र रहते हैं।
17. शिविर में किसी प्रकार के विचलनकारी कार्य करने वाले बन्दियों को नाम मात्र के लिये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है, जिसकी कटौती उनके पारिश्रमिक में से कर ली जाती है, परन्तु अर्थदण्ड से प्राप्त धनराशि को बन्दियों के हितार्थ कल्याण कोष में जमा कर दिया जाता है।

उत्तर प्रदेश के बाद देश के अन्य राज्यों में भी प्राचीर विहीन कारागारों की स्थापना की गयी। मई 1980 तक भारत के 13 राज्यों में 26 (छब्बीस) प्राचीर विहीन कारागारों की स्थापना हो चुकी थी। ये दक्षिण भारत में तमिलनाडु, आन्ध्रप्रदेश, केरल तथा कर्नाटक में तथा उत्तरी भारत में उत्तर प्रदेश, पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश एवं मध्य भारत में राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात एवं मध्यप्रदेश में तथा पूर्वी भारत में मिजोरम एवं असम में मिलते हैं। किसी राज्य में केवल एक तो किसी में दो तथा किसी में तीन या उससे अधिक प्राचीर विहीन कारागार मिलते हैं। निम्नलिखित सारणी में भारत के 13 राज्यों में प्राचीर विहीन कारागारों की वास्तविक संख्या को दर्शाया गया है:

भारत के तेरह राज्यों में प्राचीर विहीन कारागारों की वास्तविक संख्याः–5

क्रम सं०	राज्यों के नाम	प्राचीर विहीन कारागारों की संख्या
a	आन्ध्रप्रदेश	2

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e–I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-20, No.- I, Issues-39, YEAR- Jan.-March 2026

b	असम	1
c	उत्तर प्रदेश	2
d	कर्नाटक	1
e	केरल	1
f	गुजरात	2
g	तमिलनाडु	3
h	पंजाब	1
i	मध्यप्रदेश	2
j	महाराष्ट्र	3
k	मिजोरम	1
l	राजस्थान	6
m	हिमाचल प्रदेश	1
	योग	26

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. Devendra Chandra, Open Air Prisons, Vohra Publishers and Distributers, Allahabad, 1984, Chapter-1. P.17-77.
2. Proceedings of The Twelfth International Penal and Penitentiary Congress, The Hague, 14-19, August, 1950, International Penal and Penitentiary Commission, Bern 1951. Vol. p. 13.
3. Ibid.
4. Reports of the First United Nations Congress on The Prevention of Crime and Treatment of offenders, A conf. 6/1, United Nations Publication, Sales No. 56, IV.I.
5. नेशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल साइन्स डिफेन्स, ए पर्सपेक्टिव : समाज कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार प्रेस, रिंग रोड, नई दिल्ली, 1980, पृ०–30.

*****